

संख्या 3/1/2019-कल्याण

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

दूसरा तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली,
30 जनवरी, 2019

सेवा में,

1. प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सरकारी वित्तीय संस्थाएं/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियां।
3. अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मुम्बई।
4. अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई।
5. अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), प्रधान कार्यालय, दिल्ली।
6. अध्यक्ष, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), प्रधान कार्यालय, हैदराबाद।
7. अध्यक्ष, आईबीए, मुम्बई।
8. मुख्य महाप्रबंधक (एचआरडीडी), भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई।

विषय: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में निर्दिष्ट (बेंचमार्क) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) [डीईपीडी(डी)] से प्राप्त दिनांक 12.12.2018 के का.जा.सं. 34-16/2018-डीडी-III की प्रति सूचनार्थ तथा उसमें निहित डीईपीडी(डी) के अनुदेशों के अनुपालन के लिए इसके साथ अग्रसारित करने का निदेश हुआ है।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23748725

प्रतिलिपि:

1. स्थापना अनुभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग - सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्रवाई हेतु।
2. आईआर अनुभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग।
3. आरआरबी अनुभाग को तत्संबंधी अनुदेश आरआरबी को जारी करने हेतु।
4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण (दिव्यांगजन) विभाग [डीईपीडी(डी)] को दिनांक 12.12.2018 के का.जा.सं. 34-16/2018-डीडी-III के संदर्भ में।
5. एनआईसी सैल, वित्तीय सेवाएं विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इसे डीएफएस की वेबसाइट पर अपलोड करें।

(अरुण कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार